राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

कमांकः– पं. 13 (1) बारां/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 6-9-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बारां (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबध में।

संदर्भः–सहायक निदेशक अभियोजन, बारां का पत्र कमांक 142 दिनांक 29.08.2017 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के कम में आपने लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा की है। आपकी अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्रकरणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

कम संख्या	न्यायालय का नाम	अपराध अन्तर्गत	विशेष विवरण
1.	ए.सी.जे.एम. शाहबाद	2 प्रकरण धारा 182 भारतीय दण्ड संहिता (क.सं. 9 से 10)	पुर्ण विवरण प्रेषित करें।
2.	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां	7 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क.सं. 12 से 18)	वापस लिये जाने योग्य।
3.	ए.सी.जे.एम. मांगरोल,	1 प्रकरण नगर पालिका अधिनियम (क.सं. 10)	इस प्रकरण में नगरपालिका द्वारा सहमति प्राप्त कर प्रेषित करें।

अतः लघु प्रकृति के कुल 7 प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

6/9/17
(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. **सदस्य सचिव**, राजस्थान **राज्य** विधिक **सेवा** प्राधिकरण, रा.उच्च.न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, **जयपुर**।
2. **सहायक निदेशक** अभियोजन, बारां।
3. **रक्षित** पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– पं. 13 (1) बाडमेर/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 6-9-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाडमेर, (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।

संदर्भः–सहायक निदेशक अभियोजन, बाडमेर का पत्र क्रमांक 2866 दिनांक 21.08.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में आपने लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा की है। आपकी अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्रकरणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	अपराध अन्तर्गत	विशेष विवरण
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. चोहटन	1 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्र.सं. 1)	वापस लिया जाने योग्य
2.	न्यायिक मजि. सिवाना	3 प्रकरण धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता (1) सरकार बनाम राजुराम (2) सरकार बनाम कैलाश कुमार (3) सरकार बनाम हेमनाथ (क्र.सं. 1 से 3)	498ए भा.द.स. में वापस लिये जाने योग्य (धारा 406 व धारा 323 में राजीनामा पर)

अतः कुल धारा 498ए भा.द.स. के 3 प्रकरण व लघु प्रकृति के 1 प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय

6/9/17

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रा.उच्च.न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

कमांकः– पं. 13(1)ल-5/जयपुर जिला/गृह–10/2017/पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 6-9-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर, जिला जयपुर (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।

संदर्भः–आपका पत्र कमांक 1889 दिनांक 21.08.2017 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के कम में आपने लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा की है। आपकी अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्रकरणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

कम संख्या	न्यायालय का नाम	अपराध अन्तर्गत
1.	विशेष न्यायिक मजि. (मोबाईल) संख्या 2 जयपुर जिला।	14 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क सं. 1 से 14)
2.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. शाहपुरा	1 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क सं. 1)
3.	सिविल न्यायाधीश, एवं न्यायिक मजि. कोटपुतली	18 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क सं. 1 से 18)
	कुल	33 प्रकरण

अतः कुल 33 प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

6/9/17
(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रा.उच्च.न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर देहात।
3. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– पं. 13 (1) चितौडगढ/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 6-9-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चितौडगढ, (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।

संदर्भः–सहायक निदेशक अभियोजन, बाडमेर का पत्र क्रमांक 2866 दिनांक 21.08.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में आपने लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा की है। आपकी अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्रकणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण अन्तर्गत अपराध	विशेष विवरण
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चितौडगढ	3 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्र. सं. 1 से 3)	वापस लिये जाने योग्य।
	कुल	3 प्रकरण	

अतः कुल 3 प्रकरण लघु प्रकृति के न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

6/9/17

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रा.उच्च.न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, चितौडगढ।
3. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांकः- पं. 13 (1) चूरू/गृह-10/2017 जयपुर, दिनांक 6-9-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)।

विषयः-लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।

संदर्भः-सहायक निदेशक अभियोजन, चूरू का पत्र क्रमांक 1508 दिनांक 23.08.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में आपने लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा की है। आपकी अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्रकरणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया है:-

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	अपराध अन्तर्गत	विशेष विवरण
1.	अति. मुख्य न्यायिक मजि. सुजानगढ़, चूरू	6 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्र.सं. 1 से 6)	प्रकरण वापस लिये जाने योग्य
2.	न्यायिक मजि. चूरू	1 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क्र.सं. 7)	वापस लिये जाने योग्य।

अतः लघु प्रकृति के कुल 7 प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय
6/9/17
(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रा.उच्च.न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, चूरू।
3. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– पं. 13 (1) जैसलमेर/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 6-9-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।

संदर्भः–सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर का पत्र क्रमांक 1176 दिनांक 28.08.2017 के म में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में आपने लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा की है। आपकी अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्रकरणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया हैः–

क.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण अन्तर्गत अपराध	विशेष विवरण
1	मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, जैसलमेर	1 प्रकरण 147, 148 भारतीय दण्ड संहिता	शेष धाराओ में राजीनामा हो गया है। अतः 147, 148 भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणो को वापस लिये जाने योग्य।
2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	1 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम	वापस लिये जाने योग्य
3	कुल	2 प्रकरण	

अतः कुल 2 प्रकरण लघु प्रकृति के न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय
7/6 6/9/17
(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रा.उच्च.न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

कमांकः– पं. 13 (1) सवाईमाधोपुर/गृह–10/2017 जयपुर, दिनांक 6-9-17

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर (राज.)।

विषयः–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।

संदर्भः–सहायक निदेशक अभियोजन, सवाईमाधोपुर का पत्र कमांक 784–88 दिनांक 09.08.2017 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के कम में आपने लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा की है। आपकी अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्रकरणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया है:–

कम संख्या	न्यायालय का नाम	अपराध अन्तर्गत	विशेष विवरण
1.	मुख्य न्यायिक मजि. सवाईमाधोपुर	11 प्रकरण आयुध अधिनियम (क.स. 1 से 8, 13 से 15 तक)	प्रकरण वापस लिये जाने योग्य नहीं
		6 प्रकरण वन अधिनियम (क.स. 9,10,18, से 21 तक)	प्रकरण वापस लिये जाने योग्य नहीं वन विभाग की सहमति प्राप्त कर प्रेषित करें।
		4 प्रकरण आबकारी अधिनियम (क.स. 11,12,16,17)	प्रकरण वापस लिए जाने योग्य नही। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर प्रेषित करें।
2.	न्यायिक मजि. सवाईमाधोपुर	1 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम	वापस लिये जाने योग्य।

अतः लघु प्रकृति का 1 प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(देवेन्द्र दीक्षित) 6/9/17
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रा.उच्च.न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, सवाईमाधोपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

कमांक:– पं. 13 (1) जयपुर/गृह–10/2017/पार्ट–3 जयपुर, दिनांक 6-9-17

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर (राज.)।

विषय:–लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में।

संदर्भ:–आपका पत्र कमांक 5661 दिनांक 22.08.2017 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के कम में आपने लघु प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की अनुशंषा की है। आपकी अनुशंषा के परीक्षणोंपरान्त राज्य सरकार ने निम्न प्रकरणों का न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया है:–

ए– धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरण

क. सं.	न्यायालय का नाम	अपराध अन्तर्गत	विशेष विवरण
1	अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (सा.द.प्र.) जयपुर महानगर	1 प्रकरण धारा 498ए, भारतीय दण्ड संहिता 2182 /2012 सरकार बनाम मो. शकील वगेरह	वापस लिये जाने योग्य। धारा 406 भा. द.स. में राजीनामा होने पर
2	अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम–22 मुख्यालय चौमू जयपुर महानगर	1 प्रकरण 498ए,भारतीय दण्ड संहिता 1435/2015 (1759/2009) सरकार बनाम मो. असलम	वापस लिये जाने योग्य।
3	सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, पश्चिम, जयपुर महानगर	01 प्रकरण 498ए,406 भारतीय दण्ड संहिता 177/2016 सरकार बनाम अनुराग गोयल	वापस लिये जाने योग्य। धारा 406 भा. द.स. में राजीनामा होने पर
4	महानगर मजिस्ट्रेट कम –12, जयपुर महानगर	6 प्रकरण 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता 1. 39/2016 सरकार बनाम विकास 2. 38/2016 सरकार बनान अमित 3. 98/2015 सरकार बनाम सुरेश उर्फ राजेश 4. 386/2015 सरकार बनाभ विनोद 5. 99/2015 सरकार बनाम नवरत्न सिंह 6. 324/2017 सरकार बनाम विनोद कुमार	वापस लिये जाने योग्य। धारा 406 भा. द.स. में राजीनामा होने पर
5	महानगर मजिस्ट्रेट कम –13 जयपुर माहनगर	1 प्रकरण 498ए,406 भारतीय दण्ड संहिता 113/2016 सरकार बनाम अभिषेक उर्फ आनन्द वगैरह	वापस लिये जाने योग्य। धारा 406 भा. द.स. में राजीनामा होने पर
6	महानगर मजिस्ट्रेट कम 24 मुख्यालय बस्सी जयपुर महानगर	1 प्रकरण 498ए,406 भारतीय दण्ड संहिता . 414/ 2013 सरकार बनाम राजकुमार	वापस लिये जाने योग्य। धारा 406 भा. द.स. में राजीनामा होने पर
	कुल	11 प्रकरण वापस लिये जाने योग्य है।	

– 2

बी– लघु प्रकृति के प्रकरण

क. सं.	न्यायालय का नाम	अपराध अन्तर्गत	विशेष विवरण
1	अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सं. 8(सा.द.प्र.) जयपुर महानगर जयपुर	4 प्रकरण 34 पुलिस एक्ट (क.सं. 1,2,3,4) 3 प्रकरण राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम (क.सं. 5,6,7) 21 प्रकरण मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम (क.सं. 8 से 28 तक)	वापस लिये जाने योग्य वापस लिये जाने योग्य वापस लिये जाने योग्य नहीं। श्रम विभाग के माध्यम से टिप्पणी प्राप्त कर भिजवाये।
2	महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 13 जयपुर महानगर	14 प्रकरण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (क.सं. 1 से 11 व 13 से 15) 1 प्रकरण शोपस एक्ट (क.सं. 12)	वापस लिये जाने योग्य नहीं। श्रम विभाग के माध्यम से टिप्पणी प्राप्त कर भिजवाये। वापस लिये जाने योग्य
3	महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 27 जयपुर महानगर जयपुर	564 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क.सं. 1 से 564 तक)	वापस लिये जाने योग्य
4	महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 28 जयपुर महानगर जयपुर	320 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क.सं. 1 से 320 तक)	वापस लिये जाने योग्य
5	महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 29 जयपुर महानगर जयपुर	264 प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम (क.सं. 1 से 264 तक)	वापस लिये जाने योग्य
	कुल	1156 प्रकरण	

अतः धारा 498 ए भा.द.स. के 11 प्रकरण तथा लघु प्रकृति के 1156 प्रकरण कुल 1167 प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय

6/9/17

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव,गृह,(विधि)
एवं सयुंक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रा.उच्च.न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय।
3. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी